न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 118/2024(GCMS : 2024/169)

HDFC Bank Limited
Registered Office Address : HDFC Bank Limited, HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai, Maharasthra – 400013
Branch Office Address : HDFC Bank Limited, Rathi Chambers, Basani Industrial Area, Jodhpur, Rajasthan – 342005 Through Authorized Officer Manoher Singh Rathore

बनाम

1. **Late Banarsi Dass (Since Deceased)** Proerietor of M/s RBH Industries Through his Legal Heirs
   a. **Mr. Harsh Garg** S/o Late Banarsi Dass **Address 1**. Shakti nagar, Near Rajasthan Patrika Office, Sriganganagar, Rajasthan – 335001 **Address 2.** 3 Ganpati Nagar, Ward No. 34, Sriganganagar, Rajasthan-335001
   b. **Mr. Anjani Garg** s/o Late Banarsi Dass Address 1. Shakti nagar, Near Rajasthan Patrika Office, Sriganganagar, Rajasthan – 335001 **Address 2.** 3 Ganpati Nagar, Ward No. 34, Sriganganagar, Rajasthan-335001
2. **Late Babita Garg** W/o Late Banarsi Dass (Since Deceased) Through her Legal Heirs
   a. **Mr. Harsh Garg** S/o Sh. Late Banarsi Dass Address. 3 Ganpati Nagar, Ward No. 34, Sriganganagar, Rajasthan-335001
   b. **Mr. Anjani Garg** S/o Late Banarsi Dass Address 3/ Ganpati Nagar, Ward No. 34, Sriganganagar, Rajasthan-335001
3. **Mr. Harsh Garg** S/o Late Banari Dass Address 3. Ganpati Nagar, Ward No. 34, Sriganganagar, Rajasthan-335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप कुमार गोदारा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण स्व. श्री बनारसी दास के विधिक उत्तराधिकारी हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग एवं स्व. बबीता गर्ग के विधिक उत्तराधिकारी हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग और हर्ष गर्ग को ऋण सुविधा के [illegible]7,80,000/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.04.20[illegible] को [illegible] की [illegible] अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 05.04.2022 को 25,99,619/– रूपये की राशि [illegible]या थी। ऋण की सु[illegible]की एवज

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

में **अप्रार्थी स्व. बनारसी दास के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या 03, चक 6 ई छोटी, एस.क्यू संख्या 27, किल्ला संख्या 03, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (क्षेत्रफल 22' गुणा 35' वर्गफीट) और हर्ष गर्ग और स्व. बबीता गर्ग के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग की सम्पत्ति चक 6 ई छोटी, एस.क्यू. संख्या 27, किल्ला संख्या 04, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (क्षेत्रफल 25'6'' गुणा 44' वर्गफीट),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण स्व. बनारसी दास के विधिक** उत्तराधिकारी **हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग, स्व. बबीता गर्ग के विधिक** उत्तराधिकारी **हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग और हर्ष गर्ग** को राशि 37,80,000/—रूपये (अखरे रूपये सैंतिस लाख अस्सी हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.04.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी स्व. बनारसी दास के विधि वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी** सम्पत्ति **प्लॉट संख्या 03, चक 6 ई छोटी, एस.क्यू संख्या 27, किल्ला संख्या 03, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (क्षेत्रफल 22' गुणा 35' वर्गफीट) और हर्ष गर्ग और स्व. बबीता गर्ग के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग की सम्पत्ति चक 6 ई छोटी, एस.क्यू. संख्या 27, किल्ला संख्या 04, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अंग है। (क्षेत्रफल 25'6" गुणा 44' वर्गफीट), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति** (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.04.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.04.2022 को भिजवाये गये है,** जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग को धारा 13(2) के नोटिस पर व्यक्तिशः हस्ताक्षर करवाये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी स्व. बनारसी दास के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग **की दृष्टि बंधक रखी गई** सम्पत्ति **प्लॉट संख्या 03, चक 6 ई छोटी, एस.क्यू. संख्या 27, किल्ला संख्या 03, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (क्षेत्रफल 22' गुणा 35' वर्गफीट) और हर्ष गर्ग एवं स्व. बबीता ... के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग की सम्पत्ति चक 6 ई ... एस.क्यू. ... 27, किल्ला संख्या 04, जिसे वर्तमान में गणपति नगर, गली नं. 04, श्रीगंगानगर पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (क्षेत्रफल 25'6" गुणा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: Self Attested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

44' वर्गफीट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.04.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.04.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण स्व. बनारसी दास के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग, स्व. बबीता गर्ग के विधिक वारिसान हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग और हर्ष गर्ग को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.04.2022 भिजवाये गये है, जिसकी पावती रसीद/ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण हर्ष गर्ग और अंजनी गर्ग को व्यक्तिशः तामिल करवाये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती** है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है **परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग को व्यक्तिशः तामील करवाये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी बनारसी दास गर्ग एवं बबीता गर्ग की मृत्यु दिनांक 15.03.2021 को हो चुकी और प्रार्थी बैंक ने विचाराधीन प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 14.08.2024 को पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

हिन्दु उत्तराधिकारी **अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> **पुरूष** की **दशा** में उतराधिकारी के **साधारण** नियम : निर्वसीयत **मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार** निम्नलिखित **को न्यागत होगीः**
>
> **(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।**
>
> **(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विर्निदिष्ट सम्बन्धी है**
>
> ....

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में मृतक बनारसी दास गर्ग एवं बबीता गर्ग की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था। **इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010** अवलोकनीय है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.04.2022 अप्रार्थीगण स्व. बनारसी दास एवं स्व. बबीता के विधिक उत्तराधिकारी हर्ष गर्ग एवं अंजनी गर्ग को व्यक्तिशः तामील करवाये गये है तथा **अप्रार्थी [illegible] स्व. बनरसी दास गर्ग** एवं **स्व. बबीता गर्ग के समस्त** उतराधिकारियों **को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उन्हें धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी किया गया गया है जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. बनारसी दास गर्ग एवं स्व. बबीता गर्ग के समस्त उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस जारी न कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने **2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr** के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक. लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपठित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के **समस्त** उतराधिकारियों **को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर. तीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:51 IST
Reason: SelfAttested